



कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश संघकाय

संख्या- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

संबंधित संस्था

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्यालय) कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा: विधिक सं. 2021-22 हेतु विषयगत स्वीकृत करणारी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघकाय से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 18/08/2021 को प्राविष कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्तों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय का अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघकाय द्वारा सं. 2021-22 हेतु नियुक्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3033-SHR) SATYA SAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, ASHARAM BAPU ROAD, ORAI, JALAUN- 285001

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संबद्धता हेतु सर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, रीनोस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों 30000 पाठ्यक्रमों हेतु ए0 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों 60000 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/अध्यय से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर शक्य होगा निर्णय किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जमा आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सं. 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो कीस की सर्वोच्चतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा दस्तावेज तथा उन दस्तावेजों पर सम्बद्धता प्रदान किया जाला विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्मित शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सं. हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाला आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश संघकाय द्वारा किये गये विधि/विनियम/अतिरिक्त/शासनदेश/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संघकाय परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये विनियमों, निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यों की सम्पत्ता यदि गीसी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में सरकारत उत्तर/प्राविधिक सं. का का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई खर्च व्यय किया जाता है तथा छात्रों का के संबंध में मा. स्वयंसेवाय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जात है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

Item No.	Institute Name/ ID	112 CC (10.6.2021) Decision	Examining Authority/ Hospital
1210 and 1327 UP-636/ 2021- 2022	Shri Satya Sai Institute of Pharmaceutical Science And Research 12, Ashram bhaya road area, Ashram bhaya road area JALALUN, 285001 PG 1 - 3411	Granted approval from 2019-2020 to 2021-2022 academic session for 60 admissions up to L2 for D.Pharm course;	D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gurga Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh
1211 and 1328	PCPS College of Pharmacy	Granted approval from 2019-2020 to 2021-2022 academic session for 60	D.Pharm